



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
पटना-14



पत्रांक- 8 बजट (1) 18/2026...48 (नि.)भा०

दिनांक- 31/08/2026

प्रेषक

श्रीकान्त शास्त्री, भा०प्र०से०
निदेशक, पशुपालन,
बिहार, पटना।

सेवा में

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या 02 के अधीन बजट शीर्ष 4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय, 051 निर्माण, 0102 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के भवनों का निर्माण (नाबार्ड सम्पोषित योजना), विपत्र कोड 02-4403000510102 के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों के व्यय को वहन करने हेतु ₹ 21,05,33,000/- (इक्कीस करोड़ पाँच लाख तैंतीस हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत निम्न तालिका के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या- 3885 दिनांक 23.07.2026 के आलोक में कुल ₹ 21,05,33,000/- (इक्कीस करोड़ पाँच लाख तैंतीस हजार) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

क्र० सं०	विषय शीर्ष	आवंटित राशि
1	3	4
1	53.01— मुख्य निर्माण कार्य	21,05,33,000
योग 02-4403000510102		21,05,33,000
रु० इक्कीस करोड़ पाँच लाख तैंतीस हजार मात्र।		

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या 02 के अधीन बजट शीर्ष 4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय, 051 निर्माण, 0102 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के भवनों का निर्माण (नाबार्ड सम्पोषित योजना), विपत्र कोड 02-4403000510102 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3. यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्तीय वर्ष 2023-24 में संगत विभागीय राज्यादेश संख्या 3753 दिनांक 05.10.2023 द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (RIDF) के तहत प्राप्त ऋण से राज्य स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के भवन निर्माण तथा 17 जिलों के लिए जिला स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के भवन निर्माण के तहत स्वीकृत राशि में से शेष अन्तर राशि की योजना के लिए दिया जा रहा है।

h

4. इस राशि की निकासी निदेशक, पशुपालन, बिहार के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना (बिहार सरकार का एक उपक्रम) के पी0एल0 खाता संख्या PNBPLA007 में अंतरित किया जायेगा।

5. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं 380/वि० दिनांक 20.04.2026 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(घ) वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रत्येक प्रतिवेदन 15 मार्च 2027 तक भेजा जाय।

6. जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या- 8 बजट (1) 18/2026 48 (वि०) आ०/

पटना-14, दिनांक 31/08/2026

प्रतिलिपि — उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या-टी०ए०-57-96-97-प०पा०-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम०-405/98 पार्ट-3909 वि० (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा-09/योजना शाखा-10 एवं 06, पशुपालन, बिहार, पटना/ आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।